फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री दिनेश माली, अध्यक्ष करप्शन कंट्रोल ऑगनाइजेशन राजस्थान ,श्रीनाथ कोलोनी ए नाथद्वारा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 32/2020**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 06.07.2020 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा जरिये क्रमांकः सू.अ./2020/547—548 दिनांक 27.03.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय के पत्रांक सू.अ./2005/2020/464 दिनांक 10.02.2020 के द्वारा भारी को घर के पते पर तामिल कराने हेतु तहसील कार्यालय नाथद्वारा के सहायक कर्मचारी लेकर गया। प्रार्थी द्वारा पढकर लेने से इनकार किया इस पर अदम तामिल सूचना कार्यालय में पुनः जमा की गई। प्रार्थी द्वारा इस संबंध में पुनः कोई पत्राचार नही कर सीधे ही श्रीमान को अपील प्रस्तुत कर दी गई हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बिन्दु संख्या 02 के संबंध में सुचना के अधिकार अधिनियम 2005 अर्न्तगत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लो प्राधिकरण के पास पहले से उपलब्ध है या उसके नियत्रण में हैं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या काल्पनिक प्रश्नो के उत्तर देना अपेक्षित नही हैं। सूचना का सृजन करना सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यक्षेत्र से बाहर होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित बिन्दू संख्या 01 की सूचना प्रार्थी/अपीलार्थी को उपलब्ध कराये जाने व बिन्दु संख्या 02 की सूचना कार्यक्षैत्र से बाहर की होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)